विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 316

दुर्ग, दिनांक 22/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 127
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई

आवेदक

बी.पी. क्रमांक : **1001916840**

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, सुपेला जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी. पी. क्रमांक 1001916840, स्वीकृत भार 7.75 किलोवाट, के संबंध में विद्युत बिलिंग में त्रुटि होने की शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का मुख्य कथन है कि संबंधित अवधि में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग सही आधार पर नहीं की गई तथा मीटर की स्थिति, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मीटर किराया एवं पावर फैक्टर सरचार्ज के संबंध में आवश्यक सुधार किया जाना अपेक्षित है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित हैं :–

1. संबंधित विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के सड़क बत्ती प्रयोजन हेतु स्थापित है।
2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 7.75 किलोवाट है।
3. संबंधित कनेक्शन में वर्ष 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं :–

1. नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक की अवधि में 916 यूनिट की खपत के आधार पर बिल जारी किया गया है, जबकि उक्त बिलिंग के लिए सही मीटर रीडिंग अथवा उचित फील्ड सत्यापन का आधार स्पष्ट नहीं है।

2. उक्त अवधि की असेसमेंट/औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग का पुनः परीक्षण कर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

3. संबंधित कनेक्शन सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है। अतः मीटर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

4. कनेक्शन में लागू मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

5. मीटर किराया ₹100 प्रतिमाह के स्थान पर लागू दर के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा संबंधित कनेक्शन का अप्रैल 2018 से जून 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्रक फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा यह भी बताया गया है कि संबंधित कनेक्शन में अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :–

1. क्या अप्रैल 2018 से संबंधित कनेक्शन में मीटर किराया सही दर से वसूल किया गया है?

2. क्या अप्रैल 2018 से संबंधित मीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर सही रूप से लागू किया गया है?

3. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई औसत खपत के आधार पर बिलिंग उचित है?

4. क्या मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली उचित है?

5. क्या उपरोक्त आधारों पर बिलिंग में संशोधन किया जाना आवश्यक है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के प्रस्तुत मीटर डायरी, मीटर रीडिंग एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

1. मीटर किराया एवं मल्टीप्लाइंग फैक्टर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कनेक्शन में अप्रैल 2018 से मीटर किराया ₹100 प्रतिमाह की दर से लिया गया है तथा मीटर किराए में संशोधन किया जाना है।

फोरम का मत है कि लागू प्रावधानों के अनुसार मीटर किराए को ₹35 प्रतिमाह की दर से पुनर्गणित किया जाना आवश्यक है।

साथ ही, अनावेदकगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अप्रैल 2018 से संबंधित कनेक्शन में CT मीटर स्थापित था अथवा नहीं तथा उस अवधि में कौन–सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर लागू किया गया था।

अतः अप्रैल 2018 से संबंधित कनेक्शन में स्थापित मीटर की प्रकृति तथा लागू मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) का अभिलेखों के आधार पर सत्यापन किया जाना आवश्यक है। यदि परीक्षण में MF के संबंध में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके अनुसार बिलिंग को संशोधित किया जाना उचित होगा।

2. मीटर की डिफेक्टिव स्थिति एवं औसत खपत की बिलिंग

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक के अनुसार संबंधित मीटर अगस्त 2022 से डिफेक्टिव दर्शाया गया है तथा जुलाई 2025 तक की अवधि में 916 यूनिट औसत खपत के आधार पर बिलिंग की गई है।

फोरम द्वारा यह भी पाया गया कि स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात भी मीटर रीडिंग नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रही है।

अतः स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात मीटर में उपलब्ध हिस्ट्री/पिछली रीडिंग वास्तविक दर्ज खपत का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। उक्त परीक्षण के आधार पर मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि की वास्तविक/औसत खपत का पुनर्निर्धारण किया जाए तथा यदि वर्तमान बिलिंग में अंतर पाया जाता है तो संबंधित अवधि का बिल संशोधित किया जाए।

3. पावर फैक्टर सरचार्ज

अभिलेखों के परीक्षण से यह भी पाया गया कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि के दौरान संबंधित कनेक्शन पर पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है।

जब संबंधित अवधि में मीटर की कार्यशीलता एवं रीडिंग की विश्वसनीयता स्वयं विवादित/दोषपूर्ण रही है, तब उस अवधि में पावर फैक्टर के आधार पर लगाए गए सरचार्ज की पुनः समीक्षा आवश्यक है।

अतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि को बिलिंग से निरस्त/समायोजित किया जाना उचित है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है :–

1. अनावेदकगण संबंधित कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1001916840 में अप्रैल 2018 से अब तक वसूल किए गए मीटर किराए का लागू दर के अनुसार पुनः परीक्षण करें तथा ₹35 प्रतिमाह की लागू दर के अनुसार आवश्यक संशोधन करें।

2. अप्रैल 2018 से संबंधित कनेक्शन में स्थापित मीटर का प्रकार के अनुसार तथा लागू मल्टीप्लाइंग फैक्टर (MF) का अभिलेखों के आधार पर सत्यापन किया जाए। यदि MF में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके अनुसार संबंधित अवधि की बिलिंग संशोधित की जाए।

3. अगस्त 2022 से जुलाई 2025 तक मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में 916 यूनिट औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग का पुनः परीक्षण किया जाए। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध मीटर हिस्ट्री एवं वास्तविक रीडिंग के आधार पर औसत खपत का यथासंभव निर्धारण कर आवश्यकतानुसार बिलिंग संशोधित की जाए।

4. मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज की राशि को निरस्त करते हुए संबंधित खाते में आवश्यक समायोजन किया जाए।

5. उपरोक्त संशोधनों के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन/वापसी की कार्रवाई की जाए।

6. अनावेदकगण उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

7. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग